



Neutral Citation No. - 2026:AHC:17504

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी – 85 वर्ष 2026

राजवीर सिंह .....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य .....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शिव शंकर कैथल

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि कुछ व्यक्तियों ने पूरी तरह से अवैध रूप से चक मार्ग अवरुद्ध कर दिया है, जिसके कारण याचिकाकर्ता और अन्य ग्रामीण पीड़ित हो रहे हैं। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील-सदर, जिला फिरोजाबाद/प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष 07.12.2025 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए यह रिट याचिका दायर की गई है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
3. रिकॉर्ड के अवलोकन के साथ-साथ वर्तमान रिट याचिका में की गई प्रार्थना से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत निजी व्यक्तियों के विरुद्ध है। यह स्थापित कानून है कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका विचारणीय नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है। हालाँकि, यदि याचिकाकर्ता किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध पीड़ित है, तो वह सामान्य कानून उपचार के लिए आवेदन कर सकता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

27 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"